न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा (राज)

पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत आर.ए.एस.

मिसल न0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
52 / 2017	06 / 03 / 2017	19 / 06 / 2023

उनवान

अशोक कुमार पुत्र बद्रीलाल जाति –खटीक ,निवासी –इटावा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज
वादी

बनाम

(1.) संजय पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी– पीपल्दा कलॉ ,तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
(2.) राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार ,तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागण–
श्री एस.टी.एच. आब्दी – वकील वादी
श्री भागवन्त सिंह आसावत – वकील प्रतिवादी कम–1

वाद वादी एंव काउन्टरक्लेम प्रतिवादी कम–1 अर्न्तगत –53,188 आर. टी. एक्ट

निर्णय दिनांक–19 / 06 / 2023

वादी द्वारा उपरोक्त उनवान का वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजी खसरा नं0 1889 रकबा 0.74 है0, खसरा नं0 1890 रकबा 0.84 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा–1.58 हे0 वाके माल इटावा तह0 पीपल्दा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 में स्थित है, जिसे आगे की मदों में सुविधा के लिए विवादित आराजी कहां गया है।

यह कि उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजी वादी व प्रतिवादी कम 1 व 2 की कृषि आराजी है, जिस पर वादी क्रय करने की दिनांक से खसरा नं0 1890 पर गत् 19 साल से शांतिपूर्ण तरीके से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। इस प्रकार उक्त विवादित कृषि आराजी में

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

वादी का अपना हिस्सा 1/2 बनता है, जिस पर वादी अपने क्रय करने की दिनांक से काबिज काश्त चला आ रहा है।

यह कि वादी खसरा नम्बर 1890 की 0.84 हैक्टर मे से अपने निहित हिस्से 1/2 यानि 0.79 हैक्टर पर विभाजनानुसार शांतिपूर्वक तरीके से बिना किसी बाधा के काबिज होकर काश्त करते चला आ रहा है, तथा विभाजन में खसरा नम्बर 1890 की रकबा 0.84 हैक्टर मे से 0.79 हैक्टर पश्चिम दिशा को प्राप्त करने का अधिकारी है।

यह कि विवादित कृषि आराजीयात संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की होने के कारण वादी को काश्त करने लगान , पिलाई आदि राजस्व जमा करवाने व कृषि संबंधी ऋण लेने व अपनी विभाजनानुसार प्राप्त कृषि भूमि का वैज्ञानिक पद्धति से विकास करवाना चाहता है जिसमे संयुक्त खाते होने के कारण अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तथा वादी अपने निहित 1/2 हिस्से का विभाजन करवाते हुए अपना हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है, तथा वादी विभाजनानुसार नक्शा ट्रेस भी तरमीम करवाने का अधिकारी है।

यह कि वादी द्वारा प्रतिवादी कम 1 व 2 से विभाजन बाबत कई बार निवेदन किया गया किन्तु उसके द्वारा लगातार टालमटोल की जाती रही है किन्तु अभी दिनांक 04.02.2017 को जब वादी ने फिर विभाजन बाबत कहा तो प्रतिवादी कम 1 व 2 ने विभाजन करवाने से साफ इंकार कर दिया तथा साथ ही वादी को यह धमकी दी की तुम खेत में अब खेती मत करना ना ही खेत की तरफ देखना नहीं तो तुम्हे जान से खत्म कर देगें, तथा सारे खेतों पर हम कब्जा करेगें। लडाई झगडा करने पर उतारू हुये तथा जान से मारने की धमकी दी, तथा येन–केन–प्रकारेन वादी के हिस्से की 1/2 भूमि पर हरचन्द कब्जा करने पर प्रतिवादी 1 व 2 उतारू है, तथा प्रतिवादी कम 1 व 2 वादी के हिस्से की कृषि आराजी किसी अन्य व्यक्ति गुण्डे बदमाश आदमी को बेच देंगे जो जोर जबरदस्ती व ताकत व लठ्ठ के बल पर वादी को बेदखल कर देगा तथा प्रतिवादी 1 व 2 उक्त धमकी को पूरा करने व अन्यत्र बेचान करने पर हरचन्द उतारू है। यदि प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो वादी के साम्पत्तिक अधिकारों का हनन होगा। क्योंकि

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

अन्यत्र व्यक्ति वादी को बेवजह कब्जे के विवाद को लेकर परेशान करेगा। जिससे वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्याकंन द्रव्य में नहीं किया जा सकता है। इसलिए वादी प्रतिवादी कम 1 ता 9 के विरूद्व विभाजन की व स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिए वादीगण द्वारा उक्त वाद बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने की अधिकारी है।

यह कि प्रतिवादी कम 3 को लैण्ड होल्डर होने की वजह से पक्षकार बनाया गया है, क्योंकि उसके विरूद्व कोई रिलीफ नहीं चाहा गया है, इसलिए प्रतिवादी कम 3 को धारा 80 सी.पी.सी. का मियादी 60 दिवसीय नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है। किन्तु 80(2)सी.पी.सी. की दरख्वास्त के साथ पेश किया जा रहा है।

यह कि वाद कारण दिनांक 04.02.2017 को विभाजन करवाने से इंकार करने व अन्यत्र बेचान की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ । (8.) यह कि वाद माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में स्थित होने से माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त है।

यह कि वाद उचित कोर्ट फीस पर अवधि मध्य प्रस्तुत है। अतः वाद पत्र पेश कर आलीजनाब से गुजारिश है कि न्यायहित में डिक्री बहक वादी खिलाफ जात व जायदात प्रतिवादीगण इस तौर पा सादिर फरमायी जावे कि–

यह कि वादी वाद पत्र की मद नं. 1 मे वर्णित कृषि आराजी खसरा नं. 1889 रकबा 0.74 हैक्टर, खसरा नम्बर नं. 1890 रकबा 0.84 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.58 हैक्टर वाके माल इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में वादी को खसरा नं. 1890 रकबा 0.84 हैक्टर में से उसके निहित हिस्से 1/2 यानि 0.79 हैक्टर का विभाजन किया जावे तथा खाता पृथक से लगान कायम किया जावे तथा विभाजनानुसार नक्शा ट्रेस में भी तरमीम किया जावे तथा विभाजनानुसार कब्जा वादी को सुपुर्द किया जावे।

यह कि विभाजन में प्राप्त कृषि आराजी पर प्रतिवादी कम 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो विभाजन से प्राप्त कृषि आराजी में वादी के कृषि कार्यो में किसी किस्म की

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

मदाखलत व मजाहमत न तो स्वयं करे और ना ही अपने प्रतिनिधियों से करवाये।

यह कि अन्य न्यायोचित सहायता जो न्यायालय श्रीमान उचित समझे प्रदान करें।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित होने पर पत्रावली वास्ते जवाब नियत की गयी। वादी द्वारा प्रार्थनापत्र आदेश 1 नियम 10 एवं प्रार्थनापत्र आदेश 6 नियम 17 प्रस्तुत होने पर स्वीकार किया जाकर संशोधित टाइटल व वाद प्रस्तुत किया गया। दौराने वाद प्रतिवादी गण द्वारा अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संजय को बेचान कर दिये जाने के कारण प्रतिवादी कम 1, 2, 4, 5 का नाम डिलीट करने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी कम 1, 2, 4, 5 का नाम डिलीट किया जाकर संशोधित टाइटल लिया जाकर प्रतिवादी कम 3 को प्रतिवादी कम 1 दर्ज किया गया पत्रावली वास्ते जवाब नियत की गयी।

प्रतिवादी कम 1 द्वारा जवाब वादपत्र मय काउन्टर क्लेम अर्न्तगत धारा–53,188 आर.टी. एक्ट प्रस्तुत किया गया प्रतिवादी कम 1 द्वारा इस आशय का जवाब प्रस्तुत किया कि–

यह कि वादपत्र की मद नं. 1 अस्वीकार है विवादित आराजी में प्रतिवादी कम व 2 संयुक्त खातेदार नहीं होकर वादी व प्रतिवादी कम 3 ही संयुक्त खातेदार कृषक है।

यह कि वादपत्र की मद नं. 2 अस्वीकार है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी कम्र 3 विवादित आराजी का सहखातेदार कृषक है। विशेष कथन व काउन्टरक्लेम अवलोकनीय है।

यह कि वादपत्र की मद नं. 3 अस्वीकार है। विवादित आराजी प्रतिवादीकम 3 के संयुक्त खातेदारी व संयुक्त कब्जा काश्त की भूमि है जिस पर प्रत्येक खसरा की प्रत्येक इन्च भूमि पर प्रतिवादी कम 3 का काबिज काश्त है तथा विवादित भूमि में किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं हुआ है। विशेष कथन व काउन्टरक्लेम अवलोकनीय है।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

यह कि वादपत्र की मद नं. 4 जिस प्रकार लिखी गयी है अस्वीकार है। विशेष कथन व काउन्टरक्लेम अवलोकनीय है।

यह कि वादपत्र की मद नं. 5 अस्वीकार है। प्रतिवादी क्रम 3 विवादित आराजी का खातेदार व काबिजी कृषक है सहखातेदार के विरूद्व वादी विवादित आराजी पर किसी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

यह कि वादपत्र की मद नं. 6 अस्वीकार है। 80 सी0पी0सी के प्रावधानों की पालना के अभाव में वादी का वाद चलने योग्य नहीं है।

यह कि वादपत्र की मद नं. 7 अस्वीकार है।

यह कि वादपत्र की मद नं. 8 विधिक रूप से विचारणीय है।यह कि वादपत्र की मद नं. 9 विधिक रूप से विचारणीय है। प्रार्थना वादी अस्वीकार है। प्रतिवादी द्वारा विशेष कथन मय काउन्टरक्लेम अर्न्तगत धारा– 53, 188 आर टी एक्ट प्रस्तुत कर कथन किया कि–

यह कि विवादित आराजी ग्राम इटावा तह0 पीपल्दा कोटा राज0 ख0न0 1889 रकबा 0.74 हे0, ख0न0 1890 रकबा 0.84 हे0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.58 हे0 भूमि प्रतिवादी क्रम 3 व वादी के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की आराजी है। विवादित आराजी में प्रतिवादी क्रम 3 मुताबिक राजस्व रिकार्ड 1/2 हिस्से का सहखातेदार काबिजी कृषक है।

यह कि विवादित भूमि का कभी कोई विभाजन नहीं हुआ है वादी द्वारा विवादित आराजी ख0न0 1890 रकबा 0.84 है0 में से अपना निहित हिस्सा का बेचान बिना विभाजन करवाये केता दौलतराम को कर अपने हिस्से की भूमि पर काबिज करवा रखा है। ख0न0 1890 रकबा 0.84 हे0 में वादी का कोई हिस्सा शेष नहीं है ।

यह कि विवादित आराजी प्रतिवादी क्रम 3 के संयुक्त खाते की आराजी है जिसका विभाजन नहीं हुआ है प्रतिवादी क्रम 3 विवादित आराजी का 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक है इस कारण प्रतिवादी क्रम 3 को अधिकार प्राप्त है कि वह विवादित आराजी में अपने निहित 1/2 भारहीन हिस्से का विभाजन करवाये व पृथक लगान व पृथक खाता दर्ज करवाये ।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

यह कि विवादित आराजी प्रतिवादी कम 3 के संयुक्त खाते की आराजी है जिस पर प्रतिवादी कम 3 अपने हिस्से मुताबिक काबिज काश्त है किन्तु वादी आये दिन प्रतिवादी कम 3 के शांतिपूर्ण कब्जा काश्त में मदाखलत व मजाहमत करता रहता है वादी दिनांक–24/01/2023 को विवादित आराजी पर आया व प्रतिवादी कम 3 को विवादित आराजी पर से बेदखल करने व खुर्द–बुर्द करने की धमकी दी इस कारण वादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक हो गया है।

यह कि वाद कारण विवादित आराजी पर प्रतिवादी कम 3 द्वारा वादी को विभाजन करवाने की कहने पर वादी के द्वारा विवादित आराजी को खुर्द बुर्द करने व प्रतिवादी कम 3 को विवादित आराजी पर से बेदखल करने की धमकी देने पर दिनांक–24/01/2023 को उत्पन्न हुआ।

यह कि काउन्टरक्लेम का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

यह कि काउन्टरक्लेम उचित कोर्ट फीस पर अवधि मध्य प्रस्तुत है। अतः जवाब दावा मय काउन्टरक्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद खारिज किया जाकर प्रतिवादी के पक्ष में निम्न आशय की डिक्री पारित फरमायी जावे कि–

(अ.) कि विवादित आराजी ग्राम–इटावा, तह0–पीपल्दा, जिला–कोटा, राज0 में ख0न0 1889 रकबा 0.74 हे0, ख0न0 1890 रकबा 0.84 हे0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.58 हे0 भूमि में प्रतिवादी कम 3 के निहित 1/ 2 भारहीन हिस्से का विभाजन किया जाकर प्रतिवादी कम 3 का पृथक खाता व पृथक लगान कायम किया जावे तथा प्रतिवादी कम 3 की विभाजित भूमि की पत्थरगड़ी करवायी जाकर विभाजन में प्राप्त विभाजित हिस्से पर काबिज करवाया जावे। तथा उसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(ब.) कि वादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह न तो स्वयं न ही अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विवादित आराजी ग्राम–इटावा, तह0–पीपल्दा, जिला–कोटा, राज0 में ख0न0 1889 रकबा 0.74 हे0, ख0न0 1890 रकबा 0.84 हे0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.58

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

हे0 भूमि में प्रतिवादी कम 3 के निहित 1/2 विभाजित हिस्से पर प्रतिवादी के शांतिपूर्ण कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे।

(स) कि अन्य न्यायोचित सहायता जो न्यायालय श्रीमान उचित समझे प्रदान करें।

वादी द्वारा प्रतिवादी कम 1 के काउन्टर कलेम का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। वाद वादी व प्रतिवादी कम 1 के काउन्टरक्लेम के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गयी–

(1.) आया वादी विवादित आराजी वाके ग्राम इटावा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 ख0न0 1889 रकबा 0.74 हे0 एवं ख0न0 1890 रकबा 0.84 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.58 है0 में से ख0न0 1890 रकबा 0.84 हे0 में निहित 1/2 हिस्सा यानि 0.79 हे0 का विभाजन करवाने का अधिकारी है। (जिम्मे वादी)

(2.) आया वादी विवादित आराजी पर प्रतिवादी के विरूद्ध स्थयी निषेद्याज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। (जिम्मे वादी)

(3.) आया वादी ने विवादित आराजी में अपने निहित 1/2 हिस्सा भूमि ख0न0 1890 रकबा 0.84 है0 में से निहित हिस्सा भूमि का बेचान कर दिया है उसका वाद में क्या प्रभाव है (जिम्मे प्रतिवादी)

(4.) आया प्रतिवादी कम 1 विवादित आराजी मे अपने निहित 1/2 भार हीन हिस्से का अच्छी में से अच्छी बुरी में से बुरी के आधार पर विभाजन करवाने का अधिकारी है। (जिम्मे प्रतिवादी)

(5.) आया प्रतिवादी विवादित आराजी पर वादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। (जिम्मे प्रतिवादी)

(6.) अनुतोष। वादी अपने वाद के समर्थन में नकल जमाबन्दी पी. डब्लू. प्रर्दश पी.डब्लू. 1 तथा नक्शा ट्रेस पी.डब्लू. प्रर्दश 2 प्रस्तुत किये, प्रतिवादी कम 1 ने अपने काउन्टरक्लेम के समर्थन में नकल जमाबन्दी डी.डब्लू. प्रर्दश 1 तथा नक्शा ट्रेस डी.डब्लू. प्रर्दश 2 प्रस्तुत किये, पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की जाकर साक्ष्य वादी ली गयी वादी द्वारा साक्ष्य वादी में **पी.डब्लू. 1 अशोक कुमार, पी.डब्लू. 2 मोहनलाल, पी.डब्लू. 3 गोरधन लाल,** के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जिस पर वकील

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा जिरह की जाकर साक्ष्य वादी बन्द की जाकर पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत की गयी, प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी में डी.डब्लू. 1 संजय, डी.डब्लू. 2 सत्यनारायण, डी.डब्लू. 3 रामकुंवार, डी.डब्लू. 4 अब्दुल सत्तार, के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जिसपर वकील वादी द्वारा जिरह की गयी। साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर, पत्रावली में बहस उभय पक्ष सुनी गयी ।

पत्रावली का अवलोकन व मनन किया गया प्रकरण को तनकीवार निर्णय निर्णित किया गया–

तनकी न0–(1.) **आया वादी विवादित आराजी वाके ग्राम इटावा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 ख0न0 1889 रकबा 0.74 हे0 एवं ख0न0 1890 रकबा 0.84 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.58 हे0 मे से ख0न0 1890 कबा 0.84 हे0 में निहित 1/2 हिस्सा यानि 0.79 हे0 का विभाजन करवाने का अधिकारी है। (जिम्मे वादी)** –इस तनकी सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा अपने वाद के सर्मथन में नकल जमाबन्दी प्रर्दश पी.डब्लू. 1 तथा नक्शा ट्रेस पी.डब्लू. प्रर्दश 2 प्रस्तुत किये हैं जिससे प्रमाणित होता है कि वादी विवादित आराजी में 1/2 हिस्से का सहखातेदार कृषक है किन्तु वादी विवादित आराजी ख0न0 1889 रकबा 0.74 हे0 एवं ख0न0 1890 रकबा 0.84 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.58 हे0 ख0न0 1890 रकबा 0.84 हे0 में निहित 1/2 हिस्सा यानि 0.79 हे0 का विभाजन करवाने का अधिकार किस प्रकार प्राप्त है यह सिद्ध करने में असफल रहा है क्योंकि विवादित आराजी ख0न0 1890 रकबा 0.84 हे0 में प्रतिवादी क्रम 1 भी 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक है। विवादित आराजी न तो वादी व न ही प्रतिवादी की पैतृक आराजी है दोनों पक्ष विवादित आराजी के क्रेतागण है। वादी विवादित आराजी में चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होकर वादी व प्रतिवादी विवादित आराजी के प्रत्येक खसरा में बराबर–बराबर हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः यह तनकी आंशिक रूप से वादी के पक्ष में तय की गयी।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

तनकी न0 (2.) व तनकी न0 (5.) में वादी व प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य एक दूसरे के विरूद्ध परस्पर स्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी है इस कारण दोनों तनकीयात को एक साथ निर्णित किया जाता है– चूंकि वादी व प्रतिवादी क्रम 1 विवादित आराजी में 1/2 –1/2 हिस्से के सह खातेदार कृषक है तथा दोनों पक्षकारों द्वारा बाद विभाजन प्राप्त हिस्सा भूमि के सम्बन्ध में अपने हिस्से में आने वाली भूमि के सम्बन्ध में स्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी है ऐसी स्थिति में उभय पक्षों को बाद विभाजन प्राप्त हिस्सा भूमि के सम्बन्ध में पाबन्द किया जाना उचित है। अतः तनकी न0 2 व तनकी न0 5 इस प्रकार से निर्णित की गयी कि उभय पक्ष वादी व प्रतिवादी क्रम 1 बाद विभाजन में प्राप्त होने वाली भूमि में एक दूसरे के शांतिपूर्ण कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करेगें व बाधाएं उत्पन्न नहीं करेगें, न तो वह स्वयं ऐसा करेंगे न ही अपने प्रतिनिधियों द्वारा करेगें।

तनकी न (3.) आया वादी ने विवादित आराजी में अपने निहित 1/2 हिस्सा भूमि ख0न0 1890 रकबा 0.84 हे0 में से निहित हिस्सा भूमि का बेचान कर दिया है उसका वाद में क्या प्रभाव है (जिम्मे प्रतिवादी)– इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी क्रम 1 पर था । प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व प्रर्दश डी.डब्लू 2 से विवादित आराजी ख0न0 गीताबाई पत्नी दौलतराम को अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर बेचान करना आलेखित किया गया है जिसे एवं पी.डब्लू. 1 वादी अशोक कुमार, अपनी जिरह में स्वयं स्वीकार किया है इसी प्रकार पी. डब्लू. 2 मोहनलाल, पी.डब्लू. 3 गोरधन लाल द्वारा जिरह में विवादित आराजी ख0न0 1890 रकबा 0.84 हे0 के आधा हिस्सा भूमि को पैसे लेकर वादी द्वारा कई वर्ष पूर्व कब्जा देना स्वीकार किया है तथा वादी की स्वीकारोक्ति व प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर ख0न0 1890 रकबा 0.84 हे0 भूमि के आधे हिस्से पर अन्य व्यक्ति को वादी द्वारा स्वैच्छिक रूप सहमति से काबिज करवाना प्रमाणित है। किन्तु वादी द्वारा प्रस्तुत प्रर्दश दस्तावेज इकरारनामा अपंजीकृत है तथा फोटो कॉपी है जिसकी प्रमाणिकता व वैधता संदिग्ध है जो साक्ष्य में अग्राह्य है जो वाद

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

में कोई प्रभाव नहीं रखता है। अतः यह तनकी प्रतिवादी कम 1 के विरूद्ध तय की गयी।

तनकी न0 (4.) आया प्रतिवादी कम 1 विवादित आराजी में अपने निहित 1/2 भार हीन हिस्से का अच्छी में से अच्छी बुरी में से बुरी के आधार पर विभाजन करवाने का अधिकारी है। (जिम्मे प्रतिवादी) –प्रतिवादी कम 1 द्वारा साक्ष्य में प्रर्दश डी. डब्लू. 1 नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है तथा साक्ष्य बयान डी.डब्लू. 1, डी.डब्लू. 2, डी.डब्लू. 3, डी.डब्लू. 4 प्रस्तुत किये है जिससे प्रमाणित होता है कि वादी विवादित आराजी में 1/2 हिस्से का सहखातेदार कृषक है वादी विवादित आराजी ख0न0 1889 रकबा 0.74 हे0 एवं ख0न0 1890 रकबा 0.84 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.58 हे0 में निहित 1/2 हिस्सा भारहीन भूमि प्राप्त करने का अधिकार रखता है, अतः यह तनकी प्रतिवादी कम 1 के पक्ष में तय की गयी।

तनकी न0 (6.) अनुतोष– तनकी न0 1 लगायत 5 के विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद तथा प्रतिवादी कम 1 का काउन्टर क्लेम आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किये जाने योग्य पाया गया, अतः वादी का वाद व प्रतिवादी कम 1 का काउन्टरक्लेम आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर **दिनांक–07/06/2023** को आदेश दिया गया कि विवादित भूमि वाके ग्राम– इटावा, तह0 पीपल्दा, जिला–कोटा राज0 खसरा नं0 1889 रकबा 0.74 हे0, खसरा नं0 1890 रकबा 0.84 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा–1.58 हे0 में वादी व प्रतिवादी कम 1 के मध्य 1/2 –1/2 हिस्से का विभाजन किया जाता है तथा उभय पक्ष वादी व प्रतिवादी कम 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया कि बाद विभाजन में प्राप्त होने वाली भूमि में वह एक दूसरे के शांति पूर्ण कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें व बाधाएं उत्पन्न नहीं करें, न तो वह स्वयं ऐसा करेंगे न ही अपने प्रतिनिधियो द्वारा करवायें। तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी की गयी तथा तहसीलदार पीपल्दा को आदेशित किया गया कि प्राथमिक डिक्री का

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

अमल दरामद कर आर.टी.एक्ट. के बोर्ड 18–21 के तहत उक्त विवादित भूमि की विभाजन रिपोर्ट व प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

तहसीलदार पीपल्दा द्वारा विवादित आराजी ख0न0 1889 रकबा 0.74 हे0 एवं ख0न0 1890 रकबा 0.84 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा–1.58 हे0 वाके माल इटावा तह0 पीपल्दा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 के सम्बन्ध में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ तहसील पीपल्दा से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर वकील वादी व प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा आपत्ति पर पुनः विभाजन प्रस्ताव लिया गया विभाजन प्रस्ताव पुनः प्राप्त किया गया। तहसीलदार पीपल्दा से वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य विभाजन प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तावित किया गयाः–

ग्राम इटावा, तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 के खाता सं0 126 खसरा नम्बर–1889 रकबा–0.74 है0, खसरा नम्बर–1890 रकबा–0.84 है0, कुल किताा 2 कुल रकबा–1.58 है0 का 1/2 –1/2 हिस्से का विभाजन प्रस्ताव निम्नानुसार है–

खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा	किस्म	लगान	विशेष विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.
संजय पुत्र ओमप्रकाश जाति–ब्राह्मण, सा0 पीपल्दा कलॉ खातेदार	1889 1890 कुल किता 2	0.3700 0.4200 कुल रकबा 0.79	बारानी तृतीय बारानी तृतीय बारानी तृतीय	2.22 2.52 4.47	उत्तर दिशा में उत्तर दिशा में रोड़ फ्रंट बराबर
अशोक कुमार पुत्र बद्रीलाल जाति–खटीक, सा0 इटावा खातेदार	1889 1890 कुल किता 2	0.3700 0.4200 कुल रकबा 0.79	बारानी तृतीय बारानी तृतीय बारानी तृतीय	2.22 2.52 4.47	दक्षिण दिशा में दक्षिण दिशा में रोड़ फ्रंट बराबर

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार पृष्ठ के पीछे नजरी नक्शा बनाकर पेश है।

विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हाने पर वकील पक्षकारान की बहस सुनी गयी वकील वादी द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर असहमति प्रकट करते हुऐ कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1890 की 0.84 हैक्टर में से अपने निहित हिस्से 1/2 यानि 0.79 हैक्टेयर भूमि विभाजन में दी जावे तथा वकील प्रतिवादी कम 1 द्वारा विवादित आराजी का प्रत्येक ख0न0 में से से निहित 1/2–1/2 हिस्सा भूमि का विभाजन करने का कथन करते हुऐ तहसीलदार पीपल्दा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर सहमति प्रकट करते हुऐ विभाजन करने का अनुरोध किया।

बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया तथा प्रकरण के तथ्यों व प्रत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व तहसीलदार पीपल्दा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। चूंकि वादी विवादित आराजी खसरा नम्बर 1890 की 0.84 हैक्टर में से रकबा 0.79 हैक्टेयर भूमि जो कि मुख्य सड़क पर स्थित है को विभाजन में अपने खाते दर्ज करवाना चाहता है किन्तु विवादित आराजी में प्रत्येक ख0न0 में वादी व प्रतिवादी कम 1 का 1/2 –1/2 हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादी कम 1 प्रत्येक खसरा भूमि में से 1/2 –1/2 हिस्सा भूमि के आधार पर विभाजन प्राप्त करने पर सहमत है, इस कारण वादी द्वारा वांछित प्रस्ताव व अनुतोष स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 स्पष्ट रूप से प्रावधान करते है– ***The Rajasthan Tenancy (Board Of Revenue) Rules, 1955*** [CHAPTER IV] **Division of Holding by Decree or Order of Competent Court in a Suit - 20. Division of holding by decree.** - Same as provided in Rule 19 in a division of holding by the decree or order of a competent court passed in a suit by one or more of the co-tenant for the purpose of dividing the holding the distributing the rent thereof over the several portions into which it is divided the following principles shall be observed :-(a) The valuation of the portion allotted to each party shall be proportionate to his share in the holding. (b) The portion allotted to each party shall be as compact as possible. (c) As far as possible, no party shall be given all the inferior or all the superior quality of land. (d) As far as possible, existing fields shall not be split up.(e) Plots which are in the separate possession of a tenant shall, as far as possible, be allotted to the tenant, if they are not in excess of his share.

उपरोक्त विधिक प्रावधानों के अनुसार वादी जिस प्रकार से अनुतोष चाहता है वह प्रदान किये जाने योग्य नहीं है यदि किसी एक पक्षकार को मुख्य सड़क पर ही सम्पूर्ण मूल्यवान हिस्सा प्रदान कर दिया जाता है तो वह दूसरे पक्षकार के पक्ष में अनुचित होगा। इस कारण विधि के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसरण में वादी व प्रतिवादी कम 1 विवादित

उपखण्ड अधिकारी

आराजी को **अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी एव METES AND BOUNDS** के आधार पर विभाजन किया जाना न्यायोचित है तथा तहसीलदार पीपल्दा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव संतुलित व विधिक प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तुत किया गया है जो कि स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः तहसीलदार पीपल्दा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विवादित भूमि का वादी व प्रतिवादी कम 1 के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है–

खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा	किस्म	लगान	विशेष विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.
संजय पुत्र ओमप्रकाश जाति–ब्राह्मण, सा0 पीपल्दा कलॉ खातेदार	1889 1890 कुल किता 2	0.3700 0.4200 कुल रकबा 0.79	बारानी तृतीय बारानी तृतीय बारानी तृतीय	2.22 2.52 4.47	उत्तर दिशा में उत्तर दिशा में रोड़ फ्रंट बराबर
अशोक कुमार पुत्र बद्रीलाल जाति–खटीक, सा0 इटावा खातेदार	1889 1890 कुल किता 2	0.3700 0.4200 कुल रकबा 0.79	बारानी तृतीय बारानी तृतीय बारानी तृतीय	2.22 2.52 4.47	दक्षिण दिशा में दक्षिण दिशा में रोड़ फ्रंट बराबर

तथा आदेश प्रदान किये जाते है कि मुताबिक विभाजन अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे एवं नक्शा में तरमीम की जावे तथा विवादित भूमि का मुताबिक विभाजन सीमांकन करवाया जावे तथा पत्थरगढ़ी करवायी जाकर, मुताबिक विभाजन वादी व प्रतिवादी कम 1 को काबिज करवाया जावे । तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक–19/06/2023 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा (कोटा)

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज0

उनवान

अशोक कुमार पुत्र बद्रीलाल जाति –खटीक ,निवासी –इटावा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज

वादी

बनाम

(1.) संजय पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी– पीपल्दा कलॉ ,तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0

(2.) राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार ,तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0

प्रतिवादीगण

वाद वादी एंव काउन्टरक्लेम प्रतिवादी कम–1 अर्न्तगत –53,188 आर.टी. एक्ट

मिसल नं0 52/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादी वकील श्री एस.टी.एच. आब्दी एंव मिनजानिब रूबरू वकील प्रतिवादी कम 1 श्री भागवन्त सिंह आसावत मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि– तहसीलदार पीपल्दा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विवादित भूमि का वादी व प्रतिवादी कम 1 के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है–

खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा	किस्म	लगान	विशेष विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.
संजय पुत्र ओमप्रकाश जाति–ब्राहमण, सा0 पीपल्दा कलॉ खातेदार	1889	0.3700	बारानी तृतीय	2.22	उत्तर दिशा में
	1890	0.4200	बारानी तृतीय	2.52	उत्तर दिशा में रोड़ फ्रंट बराबर
	कुल किता 2	कुल रकबा 0.79	बारानी तृतीय	4.47	

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

ोक कुमार पुत्र बद्रीलाल ति–खटीक, 0 इटावा ातेदार	1889 1890 कुल किता 2	0.3700 0.4200 कुल रकबा 0.79	बारानी तृतीय बारानी तृतीय बारानी तृतीय	2.22 2.52 4.47	दक्षिण दिशा में दक्षिण दिशा में रोड़ फ्रंट बराबर

तथा आदेश प्रदान किये जाते है कि मुताबिक विभाजन अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे एवं नक्शा में तरमीम की जावे तथा विवादित भूमि का मुताबिक विभाजन सीमांकन करवाया जावे तथा पत्थरगढ़ी करवायी जाकर मुताबिक विभाजन वादी व प्रतिवादी क्रम 1 को काबिज करवाया जावे ।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज 19.06.2023 को जारी किया जाता है।

मिलान स्टाम्प	अर्जी दावा		स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूपयै	रूपयै
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	मेहनताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा